<u>टाईप–पठनीय प्रति</u>

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,
–: आदेश :–

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2013

क्रमांक 68/86/2013/सत्रह/मेडि–3:: राज्य शासन एतद द्वारा "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र" योजना के तहत प्रदेश में जनमानस को जेनेरिक दवाईयाँ (Generic medicines) प्रदाय की जाती है। प्रदेश मे संचालित शासकीय चिकित्सालय परिसर में दवा दुकाने यदि संचालित है उन्हें बंद करने की कार्यवाही की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(प्रज्ञा औरंगाबादकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

पृ0क्रमांक 68/86/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 17जनवरी, 2013
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री जी, म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव,/सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2 नियंत्रक, खाध एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
4 समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
5 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।
6 उप संचालक, (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की और विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
8 स्टाक फाईल ।
9 एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय ।

हस्ता/–
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2013

क्रमांक/ [illegible] / [illegible] /2012/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र" योजना के तहत प्रदेश में जनमानस को जेनेरिक दवाईयाँ (Generic medicines) प्रदाय की जाती है। प्रदेश में संचालित शासकीय चिकित्सालय परिसर में दवा दुकानें यदि संचालित हैं तो उन्हें बंद करने की कार्यवाही की जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रज्ञा औरंगाबादकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/ [illegible] / [illegible] /2012/सत्रह/मेडि-3, भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2013

1. निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री जी, म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

---

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक (विज्ञप्ति) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश
8. संबंधित फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उपसंचालक
अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / सेल–3 / 2013 / 62

प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 01 / 2013

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश

विषयः–– शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने बावत।
संदर्भः–– शासन पत्र क्र 125 / 2013 / 17 मेडि–2 / भोपाल दिनांक 30.01.2013

वर्तमान में शासकीय चिकित्सालयों में विभिन्न स्तर पर कई प्रकार की जांच सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं एवं सशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित किया जावे तथा ऐसी सुविधाएं समस्त वर्ग के रोगियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। शासन के इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आपके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है: –

1– विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों में अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाने वाली निःशुल्क पैथालॉजी जॉच सुविधाओं की सूची सलंग्न है। इस सूची के मान से उप स्वास्थ्य कन्द्रों पर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 16, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 25, सिविल अस्पतालों में 29 तथा जिला चिकित्सालयों में 35 प्रकार की जॉचें निःशुल्क प्रदाय किया जाने का तत्कालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात 1 अप्रैल 2013 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 28, सिविल अस्पतालों में 32 तथा जिला चिकित्सालयों में 48 प्रकार की जॉचें निःशुल्क प्रदाय कराई जावेगी।

2– यह सुविधा समस्त एपीएल एवं बीपीएल रोगियों, बाह्य / भर्ती रोगियों को उपलब्ध रहेगी। इसमें जांच हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा का आंकलन कर क्रियाशील उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जो उपकरण सुधरने योग्य हों उन्हें रिपेयर कराया जावे तथा आवश्यकता नहीं होने पर उस उपकरण का युक्तियुक्तकरण भी किया जावे। उपकरण क्रय हेतु इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त बजट भी दिया जा रहा है। उपकरणों के रख रखाव हेतु नियमानुसार वार्षिक अनुबंध किये जावें।

3– संस्थावार आवश्यक उपकरणों की सुझावात्मक सूची संलग्न है। स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता के मान से पुनः आंकलन करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– जांचों मे उपयोग होने वाली सामग्री उपलब्ध कराये गये मद से क्रय करना सुनिश्चित करें। इस वित्तीय वर्ष में सामग्री एवं अन्य प्रभार मद संख्या 34–009 एवं 51–000 में जिलेवार राशि उपलब्ध है ।

5— जांच की उपलब्धता नहीं होने पर उक्त रोगी को जांच हेतु समीपस्थ अन्य शासकीय चिकित्सालयों मे रिफर किया जा सकेगा।

6— शासकीय अस्पतालो में पेथालोजिकल जांचें एवं उपलब्धता के अनुसार ईसीजी, सोनोग्राफी, ईकोकार्डियोग्राफी एवं एक्सरे भी निशुल्क उपलब्ध कराई जावें। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क रोगियों से नहीं लिया जाए। ऐसे रोगी जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम/दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि योजना के तहत ईलाज हेतु पात्रता रखते हो, की जॉच० पर होने वाले व्यय का समायोजन संबंधित योजना के आवंटित बजट से किया जा सकेगा ।

7— मानव संसाधनों का आकलन कर रिक्त पदों पर युक्तियुक्तकरण द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जावे। वर्तमान में रिक्त पदों के विरूद्व भर्ती की कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है । इसके बावजूद यदि कहीं अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो तत्काल अवगत करावे ताकि उनके लिये पी.आई.पीँ. वर्ष 2013--14 में प्रावधान किया जा सके।

8— पी.एच.सी/सी.एच.सी. स्तर के अस्पताल में लेबोरेटरी स्टाफ की कमी होने पर चिकित्साधिकारियों व्दारा सहयोगी स्टाफ की मदद से टेस्ट करेंगें। किसी भी रोगी को आवश्यक जांच/उपचार उपलबधता के बावजूद भी उसे बाजार से जांच/उपचार कराये जाने पर इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

9— यह अत्यंत आवश्यक है कि समस्त उपकरण स्टाक में दर्ज कराकर नियमित रूप से संधारित किये जावे तथा जांच में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री का लेखा जोखा पूर्णत: संधारित हो। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल में पृथक से नोडल आफिसर नियुक्त किये जावें । सभी उपकरण की लॉग बुक(Log Book) संधारित की जावे।

10— उक्त आवश्यक जांचों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सुझावात्मक सूची में अंकित की गई है। वर्तमान में यह सामग्री भण्डार कय नियमों के अनुरूप सक्षम अधिकारी व्दारा कय कर उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसी जॉच सामग्री जो किसी अन्य कार्यकम के बजट में प्रावधानित/प्रदाय हो उनका कय सामान्य बजट से ना किया जावे। निकट भविष्य में उक्त सामग्री हेतु विभाग स्तर से रेट कांट्रेक्ट निर्धारित किये जावेगें।

11— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन व्दारा उनके अधिनस्थ सभी स्तर के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं मे उपलब्ध कराए जा रहे पेथालाजी जांच सुविधाओं की उपलब्धता एवं प्रयुक्त होने वाली सामग्री के पर्याप्त स्टाक की समीक्षा निरंतर की जावे।

12— यह योजना दिनांक 1 फरवरी 2013 से सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में लागू की जाना है। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क जाँच सुविधायें शुरू करने हेतु स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मलित करते हुए समारोहपूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न :— परिशिष्ट(तीन पृष्ठ)

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.कमांक / अ.प्रशा. / सेल—3 / 2013 / 63

भोपाल, दिनांक 30 / 01 / 2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री / राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश,भोपाल।
4. मिशन संचालक(एन.आर.एच.एम), मध्यप्रदेश। तृतीय तल बैंक ओफ इन्डिया, भोपाल।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश।
7. कार्यालय नस्ती।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

शासकीय संस्थाओं में की जाने वाली पेथालोजीकल जॉचों/उपकरणो/सामग्री की सूची

S.no.	STATUS	INVESTIGATIONS	REQUIRED EQUIPMENTS/CONSUMMABLES
1.	Sub Centre/ Gram Arogya Kendra	1. Hemoglobin (Colour scale) 2. Urine for Albumin/ Sugar 3. Urine for Pregnancy test 4. Malaria Antigen for P. Vivax & P. falcipárum 5. Slide collection for PBF & Sputum AFB	**Consumables** • Colour Scale • Colour Scale Paper • Albumin/Sugar Strips • Strips for Pregnancy Test • Strips for PV and PF detection • Slides • Glassware • Sputam Cup
2	Primary Health Centre	**In addition to above** 6. Hemoglobin(Sahli's Method) 7. Urine (Microscopy, Acetone, Bile salt & bile pigments) Biochemical tests- 8. Blood sugar 9. Serum Urea 10. Serum Cholesterol 11. Serum Bilirubin 12. Typhoid card test 13. BT, CT 14. Stool exam. 15. ESR 16. Complete Blood Picture	**Equipments** • Colorimeter • Hemocytometer • Microscope • Centrifuge Machine • Water Bath • Glucometer **Consumables** • Kit for acetone • Slides, cover slips • Slides • Stain for Malaria(JBS field) • Neubars Chamber • Glassware • Reagents/kits

S. no.	STATUS	INVESTIGATIONS	REQUIRED EQUIPMENTS/ CONSUMMABLES
3	CHC	In Addition to above 17. Platelet Count 18. PBF for Malaria 19. Sputum AFB 20. SGOT (From 1st April onwards) 21. SGPT (From 1st April onwards) 22. Alk PO4 (From 1st April onwards) 23. G-6 PD Deficiency Test 24. Serum Creatine/protein 25. RA Factor 26. HBsAg 27. VDRL 28. Semen analysis	**Equipments** In addition to same as above – • Semi-autoanalyser **Consumables** In addition to same as above – Kits as per requirements
4	CH	In Addition to above 29. Lipid Profile 30. HCV 31. HIVag 32. CRP	**Equipments** - Same **Consumables** In addition to same as above – Kits as per requirements

S. no.	STATUS	INVESTIGATIONS	REQUIRED EQUIPMENTS/ CONSUMABLES
5	District Hospital	In Addition to above 33. Haematology- CBC with absolute values 34. Dengue, Chickenguinea **(From 1st April onwards)** 35. Microbiology (Blood/Urine culture sensitivity) **(From 1st April onwards)** 36. Pus culture and sensitivity **(From 1st April onwards)** 37. Throat swab culture (From 1st April onwards) 38. Skin Smear for AFP 39. Prothrombin Time 40. PTT **(From 1st April onwards)** 41. CPK-MB 42. CSF analysis 43. CSF Culture & sensitivity (From 1st April onwards) 44. Pleural/ascetic analysis 45. PAP smear for cytology (From 1st April onwards) 46. Serum electrolyte **(From 1st April onwards)** 47. **TORCH test (From 1st April onwards)** 48. **Thyroid profile (From 1st April onwards)**	**In addition to above** **<u>Equipments</u>** • **Haematology Cell Counter** • **ELISA Reader with printer & washer** • **Microbology Incubator** • **Autoclave** • **Coagulometer** • **Electrolyte analyzer** • High-resolution Microscope **<u>Consumables</u>** • Culture media & stains as per Requirement • Kits as per requirement

(8)

(43)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक: 30/01/2013

क्रमांक/125/2013/17/मेडी-2 : राज्य शासन द्वारा शासकीय चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक जाँच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम आवश्यक जाँचों में पैथालॉजी की 48 प्रकार की आधारभूत जाँचें, रेडियोलॉजी में एक्स–रे एवं सोनोग्राफी तथा कार्डियोलॉजी में ई.सी.जी. की जाँचें की जायेंगी।

2. इसके फलस्वरूप शासकीय चिकित्सालयों में इन जाँचों की सुविधा हेतु रोगी कल्याण समितियों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

3. ऐसे रोगी जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के अन्तर्गत चिकित्सा एवं जाँच की पात्रता रखते हैं उनकी जाँच पर हुए व्यय संबंधित योजना मद में भारित किये जायेंगे।

3. इसके क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध बजट से विकलनीय होगा।

5. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर चाहे गये स्पष्टीकरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 30/01/2013

पृ.क्र./एफ126/2013/17/मेडि-2

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मिशन संचालक (एन.आर.एच.एम), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया पी.आई.पी. के तहत आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान करें।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल मुख्य अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. आदेश नस्ती।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग